

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-1) विभाग

क्रमांक: प.12(9)गृह-1/2011

जयपुर, दिनांक 30.05.2016

आज्ञा

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62(1) व 63 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का निम्नानुसार गठन किये जाने की एतद् द्वारा राज्य सरकार घोषणा करती है :-

- | | |
|--|------------|
| 1. जस्टिस (रिटायर्ड) श्री गोपाल लाल गुप्ता | अध्यक्ष |
| 2. श्रीमती शशी अग्रवाल, एडवोकेट झालावाड | सदस्य |
| 3. श्री पी0एन0 जलथुरिया | सदस्य |
| 4. श्री शफी मोहम्मद कुरैशी | सदस्य |
| 5. श्री एन0आर0के0 रेड्डी
अति0 महानिदेशक पुलिस, कानून एवं व्यवस्था | सदस्य-सचिव |

(2) राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल इस आज्ञा की दिनांक से 02 वर्ष का होगा।

(3) समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3.12.13 द्वारा निर्धारित मानदेय एवं अन्य सुविधाएँ देय होंगी।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

Sd -

(पवन कुमार जैन)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय गृह मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह/शासन सचिव, गृह।
6. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
7. जस्टिस (रिटायर्ड) श्री गोपाल लाल गुप्ता, अध्यक्ष।
8. श्रीमती शशी अग्रवाल, एडवोकेट झालावाड, सदस्य।
9. श्री पी0एन0 जलथुरिया, सदस्य।
10. श्री शफी मोहम्मद कुरैशी, सदस्य।
11. श्री एन0आर0के0 रेड्डी, अति0 महानिदेशक पुलिस, कानून एवं व्यवस्था, सदस्य-सचिव।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय जयपुर।

(कैलाश चन्द्र गुप्ता)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस